



बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कौटिल्य नगर, पटना-14, फोन नं-2223727.2224529 फैक्स नं- 2224529

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या-37 / 2015

1. निविदाकर्ता का पदनाम : मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना। 2. निविदा कागजात डाउन लोड करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय : **26-06-2015** को अपराह्न **11.00** बजे से । 3. निविदा कागजात डाउन लोड करने की अन्तिम तिथि एवं समय **29-06-2015** को अपराह्न **17.00** बजे तक । 4. निविदा अप लोड करने की तिथि एवं समय : **01-07-2015** को अपराह्न **15.00** बजे तक । 5. निविदा की तकनीकी बीड़ खोलने की तिथि एवं समय : **03-07-2015** को **15.30** बजे अपराह्न । 6. निविदा खोलने का स्थान-बेवसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर । 7. निर्माण कार्य का व्योरा :-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्राकसित राशि (लाख रु० में)	अग्रधन की राशि रु० में।	परिमाण विपत्र का मूल्य रु० में	निविदा प्रसरण शुल्क रु० में	स्टेट फैसला कार्यक्रम
1.	शिवहर जिलान्तर्गत पुलिस लाईन में 12 लोअर सबॉर्डिनेट आवास (ब्लॉक-3) का अवधेष निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	84.72	169500	10000	5700	6 माह
2.	शिवहर जिलान्तर्गत पुलिस लाईन, शिवहर में मैगजीन भवन का घेराबन्दी कार्य (पुनर्निविदा)	14.15	28300	2500	1140	2 माह
3.	दरभंगा जिलान्तर्गत पुलिस लाईन, लहेरियासराय में 100 सिपाहियों के बैरेक का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	93.92	187900	10000	5700	12 माह
4.	गया जिलान्तर्गत मोहनपुर थाना में एस०एस०बी० एवं कोरो थाना अन्तर्गत सलैया में सी०आर०पी०ए०को के लिए आवास एवं अन्य सुविधाओं हेतु अचाइ-इ कैप का निर्माण कार्य	40.57	81200	5000	1140	6 माह
5.	अररिया जिलान्तर्गत अररिया में अनु०जा० / अनु०ज०जा० थाना भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	198.99	398000	10000	5700	9 माह
6.	गोपालगंज जिलान्तर्गत नगृ थाना गोपालगंज में ग्रेड- III थाना भवन, 4-य००एस०आवास एवं 6 एल०एस०आवास का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य	232.23	464500	10000	5700	9 माह

8. 10 लाख से ऊपर की निविदा ई-टेंडरिंग पद्धति से प्राप्त की जायेगी । इस निविदा की अन्य विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक शर्तें अगोरस्टारी के कार्यालय के बेवसाईट www.bpbcc.co.in /बेवसाईट www.eproc.bihar.gov.in तथा निगम कार्यालय के नाटिस बोर्ड पर दिए गए अपराह्न 11.00 बजे अपराह्न से प्राप्त की जा सकती है ।

9. उपरोक्त वर्णित कार्य की 2 करोड़ से ऊपर की निविदा S.B.D. के प्राकदानों के अन्तर्गत प्राप्त की जायेगी, जो निविदा 40 लाख से ऊपर की है वह द्वि-पीड़ पद्धति से प्राप्त की जायेगी एवं 40 लाख से नीचे की निविदा एकल पीड़ पद्धति से प्राप्त की जायेगी । परिमाण विपत्र की निर्धारित राशि के अतिरिक्त 300 लाख से ऊपर के कार्य के लिए रु० 15,000/- + 12.36 प्रतिशत सेवा कर के रुप में तथा 70 लाख से नीचे के कार्य के लिए रु० 5,000/- + 12.36 प्रतिशत सेवा कर के रुप में तथा शामील कर लिया गया है जो वापस नहीं होगा । निविदा प्रसरण शुल्क (Bid Processing fee) मात्र ऑन लाईन मोड यथा क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट-बैंकिंग, NEFT/RTGS से बेवसाईट www.eproc.bihar.gov.in का उपयोग करते हुए यथा निविदा सूचना में प्रकाशित तिथि एवं समय के पूर्व भुगतान करना अनिवार्य है । निम्न विलेख / निविदा अपलोड नहीं करने, इंटरनेट कनेक्शन की अनुपलब्धता, नेटवर्क यातायात / छुटियाँ या अन्य कारणों के लिए जवाबदेह नहीं होगा ।

शेष परिमाण विपत्र की राशि राशी-प्राप्ति वैकृति बैक द्वारा निर्गत बैक द्वारा जो अव्याप्त-सह-प्रबंध निवेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण, पटना के नाम से हो तथा पटना में सुनारेय दिनांक - 29-06-2015 तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायगा । प्रधेयक परिमाण विपत्र का मूल्य जो निविदा के समाने उपर अंकित है, को लौटाया नहीं जायगा । अग्रधन की राशि / बैक ड्राफ्ट मूल कागजात के साथ बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के सुख्खालय कार्यालय में दिनांक - 01-07-2015 तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायगा । इनिविदा से संबंधित कार्यों के परिमाण-विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रुप में अग्रधन की देय राशि ही मूल रुप में निगम कार्यालय में दिनांक 02-07-2015 के अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त किया जायगा, शेष विक्री कागजात को स्वीकार नहीं किया जायगा ।

10. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के समुचित कोटि के निवेशित संवेदक एवं अन्य सरकारी विभाग के निवेशित संवेदक भी निविदा देने हेतु समझौते परतु निविदित कार्य अवार्टित होने पर एकरारनामा के पूर्व उन्हें निगम में निवेशन करना आवश्यक होगा ।

11. निविदा में परिमाण विपत्र से 10% से अधिक या कम दर उद्धृत करने वाले निविदादाता को निविदा अमान्य मानी जायगी । परिमाण विपत्र की दर से कम दर देनेवाले निविदादाता से Additional Performance guarantee के रूप में अतिरिक्त अग्रधन की राशि एकरारनामा से पूर्व उपरार्थित कार्य का लाईसेंस एवं पर्यवेक्षक क्षमता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा ।

12. विद्युतिकरण कार्य के संवेदक को पार्टनर/सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में रखकर निविदा में भाग लिया जा सकता है ।

13. निविदा में परिमाण विपत्र के 10% से अधिक या कम दर उद्धृत करने वाले निविदादाता को निविदा अमान्य मानी जायगी ।

14. किसी कार्य की प्रथम वार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुनर्निविदा अल्पकालीन निविदा के रूप में आमंत्रित की जायगी ।

15. जो संवेदक निविदा में भाग लेने से बचित है (Debar), अथवा जिनके पास किसी कारणवश पूर्व से आवंटित कार्य लम्बित रहा है या जो आवंटित कार्य का एकरारनामा नहीं किए हैं या कार्य शुरू नहीं किए हैं, निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।

नोट:- ई-निविदा-पत्र www.eproc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है ।